


18.02.25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग समय में तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उप. नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिहाजा वादी का वाद 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।


18/02/25
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाइमेर

